तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी/टिए/8514/2006/सवाईमधोपुर** **संतोष देवी बनाम सिकन्दर खॉ**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16–11–2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति–** श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी श्री शैलेन्द्र राणा, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230, के अन्तर्गत सहायक कलक्टर (मु0), सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 01–11–2006 को प्रकरण संख्या 63/2005 शीर्षक सिकन्दर बनाम मो0 ईशाक में पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित आदेश के द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 से 6/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता वास्ते प्रस्तुत करने जबाबदावा को, खारिज किया गया है। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0), सवाईमाधोपुर के समक्ष वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, एवं 188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया था जिसमें दौराने वाद प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया था। दौराने वाद प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17, सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार किया गया और संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया गया, अतः प्रार्थीगण द्वारा जबाब दावा पेश करने का जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था उसे स्वीकार किया जाना न्याय हित में आवश्यक था। जब प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया है तो उन्हें अपना जबाब प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया जाना आवश्यक है। जबाबदावा पेश करने की अनुमति प्रदान नहीं करने से प्रार्थी न्याय से वंचित हो जाएगा। अतः न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के अनुसरण में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वास्ते प्रस्तुत करने जबाबादावा, स्वीकार किया जाये और निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित निगरानीधीन आदेश को निरस्त किया जाए।	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/टिए/8514/2006/सवाईमधोपुर</u>** **<u>संतोष देवी बनाम सिकन्दर खॉ</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 4 से 6 को वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है और उनके द्वारा दिनांक 30–11–2005 को अपने अधिवक्ता का वकालतनामा प्रस्तुत किया जा चुका था। इसके उपरान्त दिनांक 12–7–2006 तक भी जबाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये वाद की कार्यवाही में लापरवाह रहे है। प्रार्थना पत्र दिनांक 12–7–2006 को स्वीकार करने के औचित्य प्रद एवं संतोषजनक कारण नहीं रहे हैं, अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेक का सदुपयोग करते हुये जो आदेश पारित किया है, उसमें किसी प्रकार की क्षेत्राधिकार सम्बन्धी भूल नहीं होने से निगरानी को खारिज किया जाए। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी–अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये वादपत्र में दिनांक 26–10–2005 को प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया है और आगामी पेशी दिनांक 31–10–2005 को वादपत्र को संशोधित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और दिनांक 30–1–2006 को 50 रुपये की कॉस्ट पर वादपत्र के संशोधन की अनुमति प्रदान की गई है। दिनांक 30–11–2005 को प्रार्थीगण की ओर से श्री सी0पी0 जैन, एडवोकेट का वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को न्यायालय के आदेश से प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया है किन्तु उनके द्वारा दिनांक 12–7–2016 तक, जिस दिन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वादपत्र में अपना जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जब कि उन्हें न्यायालय के समक्ष अपना जबाब दावा प्रस्तुत करना चाहिए था। किन्तु न्याय के नैसगिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में हमारा मत है कि जब न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को पक्षकार संयोजित किया गया है तो उन्हें अपना पक्ष रखने का यथोचित अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए था ताकि पक्षकारान को गुणावगुण आधारित न्याय प्राप्त हो सके। जबाबदावा पेश करने की अनुमति प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रार्थीगण गुणावगुण आधारित न्याय प्राप्ति से वंचित हो सकते	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/टिए/8514/2006/सवाईमधोपुर</u>** **<u>संतोष देवी बनाम सिकन्दर खॉ</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हैं। अतः न्याय हित में, प्रार्थीगण पर कॉस्ट आरोपित करने के आधार पर, निगरानी को स्वीकार कर वादी को जबाबदावा पेश करने का एक अंतिम अवसर मौका प्रदान कराया जाना उचित प्रतीत होता है। फलतः निगरानी इस आशय के साथ स्वीकार की जाती है कि अधीनस्थ सहायक कलक्टर (मु0), सवाईमाधोपुर के न्यायालय में प्रार्थीगण–प्रतिवादी यदि वादी पक्ष को बतौर हर्जाना (कास्ट) रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पॉच हजार मात्र) अदा कर देते हैं तो, कॉस्ट अदा करने की शर्त पर विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0), सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–11–2006 को निरस्त किया जाता है। प्रार्थी–प्रतिवादी को विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण संख्या 63/2005 शीर्षक सिकन्दर बनाम मो0 ईशाक में जबाबदावा प्रस्तुत करने हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा दिये जा रहे इस अंतिम अवसर पर प्रार्थी–प्रतिवादी पक्ष की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में, प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुये प्रकरण को शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित किया जाये। उभय पक्ष दिनांक 30.11.2018 को सहायक कलक्टर (मु0), सवाईमाधोपुर के न्यायालय में वास्ते अग्रिम कार्यवाही उपस्थित हों। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	